2018 का विधेयक संख्यांक 127

[दि इंसोलवेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड (सेकैंड अमेंडमेंट) बिल, 2018 का हिन्दी अनुवाद]

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2018

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018 है ।

(2) यह 6 जून, 2018 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 3 का संशोधन ।

2016 का 31

2. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खंड (12) में, "उसका, यथास्थिति, ऋणी या निगमित ऋणी द्वारा पुनर्संदाय" शब्दों के स्थान पर, "उसे, यथास्थिति, ऋणी या निगमित ऋणी द्वारा संदाय" शब्द रखे जाएंगे ।

806/13

धारा 5 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 में,--

(i) खंड (5) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(5क) "निगमित प्रत्याभूतिदाता" से ऐसा कोई निगमित व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी निगमित ऋणी का किसी गारंटी संविदा में प्रतिभू है ;';

(ii) खंड (8) के उपखंड (च) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'स्पष्टीकरण–इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,--

(i) किसी भू-संपदा परियोजना के अधीन किसी आबंटिती से ली गई किसी रकम को ऐसी रकम में रूप में माना जाएगा, जिसका उधार के रूप में वाणिज्यिक प्रभाव है ; और

(ii) "आबंटिती" और "भू-संपदा परियोजना" पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उनका भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (घ) और खंड (यढ) में है ;';

2016 का 16

(iii) खंड (12) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु जहां धारा 7, धारा 9 या धारा 10 के अधीन आवेदन को स्वीकार करने वाले आदेश में किसी अंतरिम समाधान वृतिक की नियुक्ति नहीं की जाती है, वहां दिवाला प्रारंभ होने की तारीख वह होगी, जिसको न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा ऐसे अंतरिम समाधान वृतिक की नियुक्ति की जाती है ; ";

(iv) खंड (21) में, "पुनर्संदाय" शब्द के स्थान पर, "संदाय" शब्द रखा जाएगा ;

(v) खंड (24) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(24क) किसी व्यष्टि के संबंध में, "संबंधित पक्षकार" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं,--

(क) ऐसा कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि का नातेदार या व्यष्टि के पति/पत्नी का नातेदार है ;

(ख) किसी सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार या कोई सीमित दायित्व भागीदारी या किसी ऐसी भागीदारी फर्म का भागीदार, जिसका व्यष्टि एक भागीदार है ;

(ग) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे न्यास का न्यासी है, जिसके फायदाग्राही में व्यष्टि सम्मिलित है या न्यास के निबंधन न्यासी को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं, जिसका प्रयोग व्यष्टि के फायदे के लिए किया जा सकता है ;

(घ) ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी, जिसमें व्यष्टि एक निदेशक है और अपने नातेदारों सहित उसकी शेयर पूंजी का दो प्रतिशत से अधिक

धारण करता है ;

(ङ) ऐसी कोई लोक कंपनी, जिसमें व्यष्टि एक निदेशक है और अपने नातेदारों सहित उसकी समादत शेयर पूंजी का दो प्रतिशत से अधिक धारण करता है ;

(च) ऐसा निगमित निकाय, जिसका निदेशक बोर्ड, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक, कारबार के सामान्य अनुक्रम में व्यष्टि की सलाह, निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करता है ;

(छ) कोई सीमित दायित्व भागीदारी या भागीदारी फर्म, जिसके भागीदार या कर्मचारी कारबार के सामान्य अनुक्रम में व्यष्टि की सलाह, निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करते हैं ;

(ज) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी सलाह, निदेशों या अनुदेशों के अनुसार व्यष्टि कार्रवाई करने का आदी है ;

(झ) ऐसी कोई कंपनी, जहां व्यष्टि या व्यष्टि अपने नातेदार सहित, कंपनी की शेयर पूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक का स्वामी है या कंपनी के निदेशक बोर्ड की नियुक्ति को नियंत्रित करता है ।

स्पष्टीकरण–इस खंड के प्रयोजनों के लिए,--

(क) किसी व्यक्ति के प्रतिनिर्देश से, "नातेदार" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित रीति से किसी अन्य व्यक्ति से नातेदारी रखता है, अर्थात् :--

(i) हिन्दू अविभक्त कुटुंब के सदस्यों,

(ii) पति,

(iii) पत्नी,

(iv) पिता,

(v) माता,

(vi) पुत्र,

(vii) पुत्री,

(viii) पुत्र की पुत्री और पुत्र,

(ix) पुत्री की पुत्री और पुत्र,

(x) पौत्र की पुत्री और पुत्र,

(xi) पौत्री की पुत्री और पुत्र,

(xii) भाई,

(xiii) बहन,

(xiv) भाई का पुत्र और पुत्री,

(xv) बहन का पुत्र और पुत्री,

(xvi) पिता के पिता और माता,

(xvii) माता के पिता और माता,

(xviii) पिता के भाई और बहन,

(xix) माता के भाई और बहन ; और

(ख) जहां कहीं नातेदारी पुत्र, पुत्री, बहन या भाई की है, वहां उनके पति/पत्नी को भी सम्मिलित किया जाएगा ;'।

धारा 7 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में, "किन्हीं अन्य वित्तीय लेनदारों" शब्दों के स्थान पर, "किन्हीं अन्य वित्तीय लेनदारों या वित्तीय लेनदार की ओर से किसी अन्य व्यक्ति, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए," शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 8 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 8 में,--

(क) उपधारा (2) में,--

(i) खंड (क) में, "की विद्यमानता और ऐसे विवाद" शब्दों के स्थान पर, "की विद्यमानता या ऐसे विवाद" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में, "पुनर्संदाय" शब्द के स्थान पर, "संदाय" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) स्पष्टीकरण में "पुनर्संदाय" शब्द के स्थान पर, "संदाय" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 9 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 9 में,--

(क) उपधारा (3) में,--

(i) खंड (ग) में, "निगमित ऋणी द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "निगमित ऋणी, यदि उपलब्ध हो, द्वारा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"(घ) सूचना उपयोगिता के पास के किसी अभिलेख की कोई प्रति, जो यह पुष्टि करती हो कि निगमित ऋणी, यदि उपलब्ध हो, द्वारा किसी असंदत्त प्रचालन ऋण का कोई संदाय नहीं किया गया है ; और

(ङ) यह पुष्टि करने वाला कोई अन्य सबूत कि निगमित ऋणी द्वारा किसी असंदत्त प्रचालन ऋण का कोई संदाय नहीं किया गया है या ऐसी कोई अन्य जानकारी, जो विहित की जाए ।";

(ख) उपधारा (5) में,--

(अ) खंड (i) के उपखंड (ख) में "पुनर्संदाय" शब्द के स्थान पर, "संदाय" शब्द रखा जाएगा ;

(आ) खंड (ii) के उपखंड (ख) में "पुनर्संदाय" शब्द के स्थान पर, "संदाय" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 10 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 10 में,--

(क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(3) निगमित आवेदक, आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा,--

(क) ऐसी अवधि के लिए उसकी लेखा बहियों और ऐसे अन्य दस्तावेजों, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, से संबंधित जानकारी ;

(ख) किसी अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्त किए जाने

के लिए प्रस्तावित समाधान वृत्तिक से संबंधित जानकारी ; और

(ग) यथास्थिति, निगमित ऋणी के शेयर धारकों द्वारा पारित विशेष संकल्प या निगमित ऋणी के भागीदारों की कुल संख्या के न्यूनतम तीन चौथाई द्वारा पारित ऐसा संकल्प, जिसके द्वारा आवेदन के फाइल किए जाने का अनुमोदन किया गया हो ।";

(ख) उपधारा (4) में,--

(i) खंड (क) में, "यदि वह पूर्ण है" शब्दों के पश्चात् "और प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित नहीं है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में, "यदि वह अपूर्ण है" शब्दों के पश्चात् "या प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 12 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) में "पचहत्तर" शब्द के स्थान पर, "छियासठ" शब्द रखा जाएगा ।

नई धारा 12क का अंत:स्थापन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

धारा 7, धारा 9 या धारा 10 के अधीन ग्रहण किए गए आवेदन को वापस लेना ।

"12क. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, लेनदारों की समिति के मतदान शेयर के नब्बे प्रतिशत के अनुमोदन के साथ आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के अधीन ग्रहण आवेदन को ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, वापस लेना अनुज्ञात कर सकेगा ।"।

धारा 14 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(3) उपधारा (1) के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे,--

(क) ऐसा संव्यवहार, जो वित्तीय विनियामक के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

(ख) किसी निगमित ऋणी को गारंटी की संविदा में प्रतिभू ।"।

धारा 15 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (ग) में "अंतिम तारीख" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी अंतिम तारीख, जो विनिर्दिष्ट की जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 16 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (5) में, "उसकी नियुक्ति की तारीख से तीस दिन से अधिक नहीं होगी" शब्दों के स्थान पर, "धारा 22 के अधीन समाधान वृत्तिक की नियुक्ति की तारीख तक जारी रहेगी" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 17 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) में,--

(i) खंड (घ) में, "प्राधिकार रखेगा ।" शब्दों के स्थान पर, "प्राधिकार रखेगा ; और" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(ङ) निगमित ऋणी की ओर से, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होगा ।"।

धारा 18 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 18 में, स्पष्टीकरण में, "उपधारा" शब्द के स्थान पर, "धारा" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 21 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 21 में,--

(i) उपधारा (2) में,--

(क) परंतुक में, "कोई संबंधित पक्षकार, जिसके प्रति निगमित ऋणी द्वारा कोई वित्तीय ऋण देय है" शब्दों के स्थान पर, "किसी वित्तीय लेनदार या धारा 24 की उपधारा (5) या उपधारा (6) या उपधारा (6क) में निर्दिष्ट वित्तीय लेनदार के किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि वह निगमित ऋणी का संबंधित पक्षकार है" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि पहला परंतुक किसी ऐसे वित्तीय लेनदार, जो किसी वित्तीय क्षेत्र के विनियामक द्वारा विनियमित है, को लागू नहीं होगा, यदि वह दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व, मात्र ऋण के ईक्विटी शेयरों या ईक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय लिखतों के परिवर्तन या प्रतिस्थापन के मद्दे निगमित ऋण का संबंधित पक्षकार है ।";

(ii) उपधारा (3) में, "जहां" शब्द के स्थान पर, "उपधारा (6) और उपधारा (6क) के अधीन रहते हुए, जहां" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (6) में, "जहां वित्तीय ऋणों के निबंधनों का कंसोर्टियम, ठहराव या संबद्ध प्रसुविधा के भाग के रूप में विस्तार किया जाता है या उन्हें एकल न्यासी या अभिकर्ता को सभी वित्तीय लेनदारों के लिए कार्य करने के लिए प्रतिभूतियों को उपलब्ध करने के लिए जारी किया जाता है" शब्दों के स्थान पर, "जहां, वित्तीय ऋणों को कंसोर्टियम ठहराव या संबद्ध प्रसुविधा के भाग रूप में विस्तारित निबंधन किसी एकल न्यासी या अभिकर्ता द्वारा सभी वित्तीय लेनदारों के लिए कार्य करने हेतु उपबंध करते हैं" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"(6क) जहां कोई वित्तीय ऋण–

(क) प्रतिभूतियों या जमा के रूप में है और वित्तीय ऋण के निबंधन सभी वित्तीय लेनदारों के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए किसी न्यासी या अभिकर्ता की नियुक्ति का उपबंध करते हैं, वहां ऐसा न्यासी या अभिकर्ता ऐसे वित्तीय लेनदारों के निमित कार्य करेगा ;

(ख) उपधारा (6) या खंड (क) के अधीन आने वाले लेनदारों से भिन्न यथा विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक लेनदारों के वर्ग के प्रति देय है, वहां अंतरिम समाधान वृत्तिक सभी वित्तीय लेनदारों की सूची, जिसमें

अंतरिम समाधान वृत्तिक से भिन्न किसी दिवाला वृत्तिक का नाम अंतर्विष्ट होगा, के साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए आवेदन करेगा, जिसकी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा लेनदारों की समिति की पहली बैठक से पूर्व नियुक्ति की जाएगी ;

(ग) का प्रतिनिधित्व किसी संरक्षक, निष्पादक या प्रशासक द्वारा किया जाता है, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसे वित्तीय लेनदारों की ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा,

और ऐसा प्राधिकृत प्रतिनिधि खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन लेनदारों की समिति की बैठकों में भाग लेगा और अपने मतदान शेयर की सीमा तक प्रत्येक वित्तीय लेनदार की ओर से मत देगा ।

(6ख) प्राधिकृत प्रतिनिधि को संदेय पारिश्रमिक–

(i) यदि कोई हो, उपधारा (6क) के खंड (क) और खंड (ग) के अधीन वित्तीय ऋण या सुसंगत दस्तावेजों के निबंधनों के अनुसार होगा ; और

(ii) उपधारा (6क) के खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा, जो दिवाला समाधान प्रक्रिया संबंधी लागतों का भाग बनेगा ।";

(v) उपधारा (7) और उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(7) बोर्ड उपधारा (6) और उपधारा (6क) के अधीन आने वाले वित्तीय ऋणों के संबंध में मत देने और मतदान शेयर का अवधारण करने की रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगा ;

(8) इस संहिता में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, लेनदारों की समिति के सभी विनिश्चय वित्तीय लेनदारों के मतदान शेयर के पचास प्रतिशत से अन्यून मत द्वारा लिए जाएंगे :

परंतु जहां किसी निगमित ऋणी का कोई वित्तीय लेनदार नहीं है, वहां लेनदारों की समिति का गठन किया जाएगा और वह ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसे व्यक्तियों से ऐसी रीति में मिलकर बनेगी, जो विनिर्दिष्ट की जाए ।"।

धारा 22 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 22 में,--

(क) उपधारा (2) में, "पचहत्तर" शब्द के स्थान पर, "छियासठ" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपधारा (3) में,--

(i) खंड (क) में, "प्राधिकारी को" शब्दों के पश्चात्, ", प्रस्तावित समाधान वृत्तिक से विनिर्दिष्ट प्ररूप में लिखित सहमति के साथ" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में, "प्राधिकारी के समक्ष" शब्दों के पश्चात्, ", प्रस्तावित समाधान वृत्तिक से विनिर्दिष्ट प्ररूप में लिखित सहमति के साथ" शब्द

अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 23 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु समाधान वृत्तिक, यदि धारा 30 की उपधारा (6) के अधीन समाधान योजना को प्रस्तुत कर दिया गया है तो निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के अवसान के पश्चात् भी तब तक निगमित ऋणी के प्रचालनों के प्रबंध को जारी रखेगा, जब तक कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा धारा 31 के अधीन कोई आदेश पारित नहीं कर दिया जाता है ।"।

धारा 24 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 24 में,--

(i) उपधारा (3) के खंड (क) में, "वृत्तिक लेनदारों की समिति" शब्दों के स्थान पर, "धारा 21 की उपधारा (6) और उपधारा (6क) तथा उपधारा (5) में निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रतिनिधियों सहित वृत्तिक लेनदारों की समिति" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (5) में, "कोई लेनदार" शब्दों के स्थान पर, "धारा 21 की उपधारा (6), उपधारा (6क) और उपधारा (6ख) के अधीन रहते हुए, कोई लेनदार" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

नई धारा 25क का अंत:स्थापन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 25 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

वित्तीय लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के अधिकार और कर्तव्य ।

'25क. (1) प्राधिकृत प्रतिनिधि के पास धारा 21 की उपधारा (6) या उपधारा (6क) या धारा 24 की उपधारा (5) के अधीन लेनदारों की समिति की बैठकों में, ऐसे वित्तीय लेनदार, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, की ओर से ऐसे लेनदारों से मतदान के संबंध में भौतिक या इलैक्ट्रोनिक माध्यम से प्राप्त किए गए पूर्व अनुदेशों के अनुसार भाग लेने और मतदान करने का अधिकार होगा ।

(2) प्राधिकृत प्रतिनिधि का यह कर्तव्य होगा कि वह लेनदारों की समिति की बैठक के कार्यवृत्त और कार्यसूची को, ऐसे वित्तीय लेनदार, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, को परिचालित करे ।

(3) प्राधिकृत प्रतिनिधि, ऐसे वित्तीय लेनदार, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, के हित के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा और वह सदैव उनके पूर्व अनुदेशों के अनुसार कार्य करेगा :

परंतु यदि प्राधिकृत प्रतिनिधि अनेक वित्तीय लेनदारों का प्रतिनिधित्व करता है तो वह ऐसे प्रत्येक वित्तीय लेनदार से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार ऐसे प्रत्येक वित्तीय लेनदार के संबंध में, उसके मतदान शेयर की सीमा तक अपना मतदान करेगा :

परंतु यह और कि यदि कोई वित्तीय लेनदार भौतिक या इलैक्ट्रोनिक माध्यम से पूर्व अनुदेश नहीं देता है तो प्राधिकृत प्रतिनिधि ऐसे लेनदार की ओर से मतदान करने से प्रविरत होगा ।

(4) प्राधिकृत प्रतिनिधि, ऐसे वित्तीय लेनदार से, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, भौतिक या इलैक्ट्रोनिक माध्यम से प्राप्त किए गए मतदान किए जाने संबंधी किन्हीं अनुदेशों को लेनदारों की समिति के समक्ष फाइल करेगा, जिससे यह

सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे वित्तीय लेनदार के, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, समुचित मतदान संबंधी अनुदेशों को, यथास्थिति, अंतरिम समाधान वृत्तिक या समाधान वृत्तिक द्वारा सही-सही लेखबद्ध किया जाता है ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए "इलैक्ट्रोनिक माध्यम", वे होंगे, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।'।

धारा 27 का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(2) लेनदारों की समिति, अपनी किसी बैठक में मतदान शेयरों के छियासठ प्रतिशत शेयरों के साथ, प्रस्तावित समाधान वृत्तिक से विनिर्दिष्ट प्ररूप में लिखित सहमति के अधीन रहते हुए यह संकल्प कर सकेगी कि धारा 22 के अधीन नियुक्त समाधान वृत्तिक को किसी अन्य समाधान वृत्तिक से प्रतिस्थापित किया जाए ।"।

धारा 28 का संशोधन ।

21. मूल अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) में, "पचहत्तर" शब्द के स्थान पर, "छियासठ" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 29क का संशोधन ।

22. मूल अधिनियम की धारा 29क में,--

(i) खंड (ग) में,--

(अ) "ऋणी, कोई ऐसा खाता रखता है" शब्दों के स्थान पर, "ऋणी, समाधान योजना प्रस्तुत किए जाने के समय कोई ऐसा खाता रखता है" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) "रिजर्व बैंक के मार्गदर्शक सिद्धांतों" शब्दों के पश्चात् "या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी वित्तीय क्षेत्र के विनियामक द्वारा जारी दिशानिर्देशों" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(इ) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'परंतु यह और कि इस खंड की कोई बात किसी समाधान आवेदक को वहां लागू नहीं होगी, जहां ऐसा आवेदक कोई वित्तीय अस्तित्व है और वह निगमित ऋणी से संबंधित पक्षकार नहीं है ।

स्पष्टीकरण 1–इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, "संबंधित पक्षकार" पद में ऐसा कोई वित्तीय अस्तित्व सम्मिलित नहीं होगा, जो किसी वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा विनियमित है तथा यदि वह निगमित ऋणी का वित्तीय लेनदार है और वह दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व, मात्र ऋण को ईक्विटी शेयरों में संपरिवर्तित या प्रतिस्थापित करने या ईक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय लिखतों के मद्दे निगमित ऋणी का संबंधित पक्षकार है ।

स्पष्टीकरण 2–इस खंड के प्रयोजनों के लिए, जहां समाधान आवेदक का ऐसा कोई खाता है या ऐसे किसी व्यक्ति के प्रबंध या नियंत्रण के अधीन निगमित ऋणी का कोई खाता है या ऐसे व्यक्ति का ऐसा कोई खाता है, जिसका ऐसा व्यक्ति संप्रवर्तक है, जिसे गैर-निष्पादनकारी आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ऐसे खाते

को इस संहिता के अधीन किसी अनुमोदित पूर्व समाधान योजना के अनुसरण में अर्जित किया गया था, तब इस खंड के उपबंध, ऐसे समाधान आवेदक को, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा इस संहिता के अधीन ऐसी समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू नहीं होंगे ;';

(ii) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(घ) जिसे निम्नलिखित अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है,--

(i) बारहवीं अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अधिनियम के अधीन दो वर्ष या अधिक के ; या

(ii) तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन सात वर्ष या अधिक के :

परंतु यह खंड किसी व्यक्ति को, कारावास से उसकी निर्मुक्ति की तारीख से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात् लागू नहीं होगा :

परंतु यह और कि यह खंड स्पष्टीकरण 1 के खंड (iii) में निर्दिष्ट संबद्ध व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होगा ;";

(iii) खंड (ङ) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह खंड स्पष्टीकरण 1 के खंड (iii) में निर्दिष्ट संबद्ध व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होगा ;";

(iv) खंड (छ) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह खंड उस समय लागू नहीं होगा यदि इस संहिता के अधीन अनुमोदित समाधान योजना के अनुसरण में या किसी वित्तीय क्षेत्र विनियामक या किसी न्यायालय द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम या योजना के अनुसरण में समाधान आवेदक द्वारा निगमित ऋणी के अर्जन से पूर्व कोई अधिमानी संव्यवहार, न्यून मूल्यांकित संव्यवहार, अतिशय क्रेडिट संव्यवहार या कपटपूर्ण संव्यवहार हुआ है और ऐसे समाधान आवेदक ने ऐसे किसी अधिमानी संव्यवहार, न्यून मूल्यांकित संव्यवहार, अतिशय क्रेडिट संव्यवहार या कपटपूर्ण संव्यवहार में अन्यथा कोई सहयोग नहीं किया है ;";

(v) खंड (ज) में,--

(अ) "कोई परिवर्तनीय प्रत्याभूति" शब्दों के स्थान पर, "कोई प्रत्याभूति" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) "ग्रहण कर लिया गया है" शब्दों के पश्चात्, "और ऐसी प्रत्याभूति का लेनदार द्वारा अवलंब लिया गया है और ऋण पूर्णत: या भागत: असंदत रहता है" शब्द रखे जाएंगे ;

(vi) खंड (झ) में, "अध्यधीन रहा है" शब्दों के स्थान पर, "अध्यधीन है" शब्द रखे जाएंगे ;

(vii) खंड (ञ) के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में

संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :--

'परंतु स्पष्टीकरण 1 के खंड (iii) की कोई बात ऐसे किसी समाधान आवेदक को वहां लागू नहीं होगी, जहां ऐसा आवेदक कोई वित्तीय अस्तित्व है और निगमित ऋणी से कोई संबंधित पक्षकार नहीं है :

परंतु यह और कि "संबंधित पक्षकार" पद में ऐसा कोई वित्तीय अस्तित्व सम्मिलित नहीं होगा, जो किसी वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा विनियमित है और यदि वह निगमित ऋणी का वित्तीय लेनदार है और वह दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व, मात्र ऋण को ईक्विटी शेयरों में संपरिवर्तित या प्रतिस्थापित करने या ईक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय लिखतों के मद्दे निगमित ऋणी का संबंधित पक्षकार है ;';

(viii) इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण 2**–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "वित्तीय अस्तित्व" पद से ऐसे निम्नलिखित अस्तित्व अभिप्रेत होंगे, जो ऐसे मानदंडों या शर्तों को पूरा करते हैं, जिन्हें केंद्रीय सरकार, वित्तीय क्षेत्र विनियामक के परामर्श से इस निमित्त अधिसूचित करे, अर्थात् :--

(क) कोई अनुसूचित बैंक ;

(ख) भारत से बाहर किसी ऐसी अधिकारिता का, जो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल मानकों का पालन करती है और जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग बहुल समझौता ज्ञापन संगठन की एक हस्ताक्षरकर्ता है, किसी विदेशी केंद्रीय बैंक या प्रतिभूति बाजार विनियामक या अन्य वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा विनियमित कोई अस्तित्व ;

(ग) कोई विनिधान माध्यम, रजिस्ट्रीकृत विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता, रजिस्ट्रीकृत विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता या कोई विदेशी उद्यम पूंजी विनिधानकर्ता, जहां निबंधनों का वही अर्थ है, जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अधीन बनाए गए विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम, 2017 के विनियम (2) में उनका है ;

1999 का 42

(घ) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुन:संरचना तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के पास रजिस्ट्रीकृत कोई आस्ति पुन:सन्निर्माण कंपनी ;

2002 का 54

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत कोई वैकल्पिक विनिधान निधि ;

(च) व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।'।

23. मूल अधिनियम की धारा 30 में,-- धारा 30 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में, "समाधान योजना" शब्दों के पश्चात्, ", यह कथन करने वाले एक शपथपत्र के साथ कि वह धारा 29क के अधीन पात्र है" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में,--

(अ) खंड (क) और खंड (ख) में, "प्रतिसंदाय" शब्द, दोनों स्थानों पर, जहां वह आता है, के स्थान पर "संदाय" शब्द रखा जाएगा ;

(आ) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"स्पष्टीकरण–खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिए, यदि कंपनी अधिनियम, 2013 या समाधान योजना के अधीन कार्रवाई के कार्यान्वयन हेतु तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन शेयर धारकों का कोई अनुमोदन अपेक्षित है, तो ऐसे अनुमोदन को उस समय दिया गया समझा जाएगा, यदि वह उस अधिनियम या विधि के उल्लंघन में नहीं है ।" ;

2013 का 18

(iii) उपधारा (4) में,--

(क) "पचहत्तर" शब्द के स्थान पर, "छियासठ" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 द्वारा यथा संशोधित धारा 29क में उपबंधित पात्रता उपबंध ऐसे समाधान आवेदक को लागू होंगे, जिसने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के प्रारंभ की तारीख को समाधान योजना प्रस्तुत नहीं की है ।"।

2018 का अध्यादेश सं 6

धारा 31 का संशोधन ।

24. मूल अधिनियम की धारा 31 में,--

(क) उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, इस उपधारा के अधीन समाधान योजना के अनुमोदन का आदेश पारित किए जाने से पूर्व स्वयं का यह समाधान करेगा कि समाधान योजना में उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपबंध सम्मिलित हैं ।";

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(4) समाधान आवेदक, उपधारा (1) के अधीन अनुमोदित समाधान योजना के अनुसरण में, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में यथाउपबंधित किसी अवधि के भीतर, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, उक्त विधि के अधीन अपेक्षित आवश्यक अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा :

2003 का 12

परन्तु जहां समाधान योजना में, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 में यथानिर्दिष्ट संयोजन के लिए कोई उपबंध अन्तर्विष्ट है वहां समाधान आवेदक, लेनदारों की समिति द्वारा ऐसी समाधान योजना के अनुमोदन से पूर्व उस अधिनियम के अधीन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा ।"।

धारा 33 का संशोधन ।

25. मूल अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (2) में, "लेनदारों की समिति के विनिश्चय को न्यायनिर्णायक" शब्दों के स्थान पर, "लेनदारों की समिति के ऐसे विनिश्चय को, जिसे मतदान शेयर के कम से कम साठ प्रतिशत द्वारा अनुमोदित किया गया है, न्यायनिर्णायक" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 34 का संशोधन ।

26. मूल अधिनियम की धारा 34 में,--

(क) उपधारा (1) में, "वहां अध्याय 2 के अधीन" शब्दों और अंक के स्थान पर, "वहां समाधान वृत्तिक द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को निर्दिष्ट प्ररूप में लिखित सहमति प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए अध्याय 2 के अधीन" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4) में,--

(i) खंड (ख) में, "सिफारिश की है" शब्दों के स्थान पर, "सिफारिश की है ; या" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(ग) समाधान वृत्तिक उपधारा (1) के अधीन लिखित सहमति प्रस्तुत करने में असफल रहता है ।";

(ग) उपधारा (5) में, "खंड (क)" शब्द, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर "खंड (क) और खंड (ग)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (6) में, "दस दिन के भीतर अन्य" शब्दों के स्थान पर, "दस दिन के भीतर समाधान वृत्तिक द्वारा निर्दिष्ट प्ररूप में लिखित सहमति प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए अन्य" शब्द रखे जाएंगे ;

धारा 42 का संशोधन ।

27. मूल अधिनियम की धारा 42 में, "दावों को नामंजूर करने" शब्दों के स्थान पर, "दावों को नामंजूर या स्वीकार करने" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 45 का संशोधन ।

28. मूल अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) में, "धारा 43 की" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 60 का संशोधन ।

29. मूल अधिनियम की धारा 60 में,--

(क) उपधारा (2) में, "वहां ऐसे निगमित ऋणी के निजी प्रत्याभूतिदाता की कोई दिवाला समाधान प्रक्रिया" शब्दों के स्थान पर, "वहां ऐसे निगमित ऋणी के, यथास्थिति, निगमित प्रत्याभूतिदाता या निजी प्रत्याभूतिदाता का समापन या कोई दिवाला समाधान प्रक्रिया" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, "निगमित ऋणी के निजी प्रत्याभूतिदाता की न्यायालय में लंबित दिवाला समाधान प्रक्रिया" शब्दों के स्थान पर, "निगमित ऋणी के, यथास्थिति, निगमित प्रत्याभूतिदाता या निजी प्रत्याभूतिदाता की न्यायालय में

लंबित समापन या दिवाला समाधान प्रक्रिया" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 69 का संशोधन ।

30. मूल अधिनियम की धारा 69 में, "दिवाला प्रारंभ होने की तारीख को या उसके पश्चात्, यदि" शब्दों के स्थान पर, "यदि" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 76 का संशोधन ।

31. मूल अधिनियम की धारा 76 में,--

(क) पार्श्व शीर्ष में, "प्रतिसंदाय" शब्द के स्थान पर "संदाय" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) खंड (क) में, "प्रतिसंदाय" शब्द के स्थान पर "संदाय" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 196 का संशोधन ।

32. मूल अधिनियम की धारा 196 की उपधारा (1) में,--

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(कक) इस संहिता के प्रयोजनों को बढ़ावा देने के लिए दिवाला वृत्तिकों, दिवाला वृतिक अभिकरणों और सूचना उपयोगिताओं तथा अन्य संस्थाओं के कार्यकरण और व्यवहारों के विकास का संवर्धन करेगा तथा उनका विनियमन करेगा ;";

(ii) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ग) इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए दिवाला वृतिक अभिकरणों और सूचना उपयोगिताओं से प्रभारों का उदग्रहण करेगा, जिनके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण हेतु फीस भी है ;"।

धारा 231 का संशोधन ।

33. मूल अधिनियम की धारा 231 में, "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" शब्दों के, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, स्थान पर, "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 238क का अंत:स्थापन ।

34. मूल अधिनियम की धारा 238 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

परिसीमा ।

"238क. परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबंध यथाशक्य रूप से न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, यथास्थिति, ऋण वसूली अधिकरण या ऋण वसूली अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों या अपीलों को लागू होंगे ।" 1963 का 36

धारा 239 का संशोधन ।

35. मूल अधिनियम की धारा 239 की उपधारा (2) में, खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(ङक) इस बात की पुष्टि करने वाला अन्य सबूत कि निगमित ऋणी द्वारा असंदत्त प्रचालन ऋण का कोई संदाय नहीं किया गया है या धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ङ) के अधीन ऐसी कोई अन्य सूचना ;";

धारा 240 का संशोधन ।

36. मूल अधिनियम की धारा 240 की उपधारा (2) में,--

(i) खंड (छ) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा,

अर्थात् :--

"(ञक) धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख ;";

(iii) खंड (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(ढक) धारा 21 की उपधारा (6क) के खंड (ख) के अधीन लेनदारों के वर्ग के भीतर लेनदारों की संख्या ;

(ढख) धारा 21 की उपधारा (6ख) के परंतुक के खंड (ii) के अधीन प्राधिकृत प्रतिनिधि को संदेय पारिश्रमिक ;

(ढग) धारा 21 की उपधारा (7) के अधीन वितीय ऋणों के संबंध में मतदान और मतदान अंश का अवधारण करने की रीति ;"।

नई धारा 240क का अंत:स्थापन ।

37. मूल अधिनियम की धारा 240 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

इस संहिता का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लागू होना ।

'240क. (1) इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, धारा 29क के खंड (ग) और खंड (ज) के उपबंध किसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित समाधान आवेदक को लागू नहीं होंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार लोक हित में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस संहिता का कोई उपबंध,--

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लागू नहीं होगा ; या

(ख) अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले उपांतरणों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लागू होगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना के प्रारुप को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, जिसमें एक सत्र या दो अथवा अधिक उत्तरवर्ती सत्र सम्मिलित हो सकेंगे ।

(4) यदि दोनों सदन अधिसूचना के जारी किए जाने को नामंजूर किए जाने पर सहमत हो जाते हैं या यदि दोनों सदन अधिसूचना में कोई उपांतरण करने पर सहमत होते हैं तो यथास्थिति, अधिसूचना को जारी नहीं किया जाएगा या केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही, जिसके संबंध में दोनों सदन सहमत हुए हैं, जारी किया जाएगा ।

(5) उपधारा (3) में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि में ऐसी कोई अवधि सम्मिलित नहीं की जाएगी, जिसके दौरान उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी सदन का चार से अधिक लगातार दिवसों के लिए सत्रावसान या उसे स्थगित किया जाता है ।

(6) इस धारा के अधीन प्रत्येक अधिसूचना को, उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथासंभवशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों" से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन उस रूप में वर्गीकृत उद्यमों का कोई एक वर्ग या वर्ग अभिप्रेत हैं ।'। 2006 का 27

नई अनुसूची का अंत:स्थापन ।

38. मूल अधिनियम की ग्यारहवीं अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"बारहवीं अनुसूची

(धारा 29क के खंड (घ) को देखें)

धारा 29क के खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए अधिनियम

(1) विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1922 (1922 का 22) ;

(2) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) ;

(3) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) ;

(4) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) ;

(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) ;

(6) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) ;

(7) आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) ;

(8) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) ;

(9) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) ;

(10) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) ;

(11) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) ;

(12) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) ;

(13) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) ;

(14) बेनामी संपति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45) ;

(15) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) ;

(16) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) ;

(17) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) ;

(18) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) ;

(19) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) ;

(20) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) ;

(21) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) ;

(22) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या कोई पूर्ववर्ती कंपनी विधि ;

(23) कालाधन (अप्रकट विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) ;

(24) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) ;

(25) केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) और राज्य माल और सेवाकर को अधिरोपित करने वाले संबंधित राज्य अधिनियम ;

(26) ऐसा कोई अन्य अधिनियम, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।"।

इस अनुसूची के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना को, उसे जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीर्घ संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

2013 के अधिनियम सं0 18 की धारा 434 का संशोधन ।

39. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 [दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का 31 2016 की ग्यारहवीं अनुसूची के पैरा 34 द्वारा यथा प्रतिस्थापित] की उपधारा (1) के खंड (ग) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के प्रारंभ से तुरंत पूर्व किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किन्हीं कंपनियों के परिसमापन से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों का कोई पक्षकार या के पक्षकार, ऐसी कार्यवाहियों के अंतरण के लिए आवेदन फाइल कर सकेंगे और न्यायालय आदेश द्वारा ऐसी कार्यवाहियों को अधिकरण को अंतरित कर सकेगा और इस प्रकार अंतरित कार्यवाहियों के संबंध में अधिकरण द्वारा इस प्रकार कार्यवाही की जाएगी जैसे कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का 31 2016 के अधीन किसी निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ के लिए किसी आवेदन के संबंध में कार्यवाही की जाती है ।"।

निरसन और व्यावृत्ति ।

40. (1) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 का अध्यादेश सं0 6 को निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का 31 2016 के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) को, अन्य बातों के साथ, निगमित व्यक्तियों, भागीदारी फर्मों और व्यष्टियों के समयबद्ध रीति में पुनर्गठन और दिवाला समाधान प्रक्रियाओं से संबंधित विधियों को समेकित तथा उनका संशोधन करने के लिए अधिनियमित किया गया था । निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान से संबंधित उपबंधों (संहिता का भाग 2), दिवाला वृत्तिकों, अभिकरणों, सूचना उपयोगिताओं के विनियमन और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (बोर्ड) की स्थापना (संहिता का भाग 4) से संबंधित उपबंधों और प्रकीर्ण उपबंधों (संहिता का भाग 5) को चरणों में प्रवृत्त किया गया है । संहिता का भाग 3, जो व्यष्टियों और भागीदारी फर्मों के दिवाला समाधान और शोधन अक्षमता से संबंधित है, अभी प्रारंभ नहीं हुआ है ।

2. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 पर संसद् में विचार किए जाने और उसे पारित करते समय इस संबंध में एक आम सहमति बनी थी कि संहिता को और अधिक सुगम तथा स्पष्ट बनाए जाने की अपेक्षा होगी । सरकार ने संहिता के कार्यकरण और कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने के लिए एक दिवाला विधि समिति (समिति) का गठन किया था । समिति की सिफारिशों की सरकार द्वारा समीक्षा की गई थी और तदनुसार दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का संशोधन करने का विनिश्चय किया गया था ।

3. चूंकि, संसद् सत्र में नहीं थी और तुरंत कार्रवाई किया जाना अपेक्षित था, इसलिए राष्ट्रपति द्वारा तारीख 6 जून, 2018 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को प्रख्यापित किया गया था ।

4. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2018 में, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध हैं, अर्थात् :--

(क) यह स्पष्ट करने के लिए धारा 5 के खंड 8 के अधीन एक स्पष्टीकरण को अंत:स्थापित करने कि किसी भू-संपदा परियोजना के अधीन किसी आबंटिती से प्राप्त की गई किसी रकम को ऐसी रकम के रूप में माना जाएगा जिसका उधार के रूप में वाणिज्यिक प्रभाव है ;

(ख) निगमित ऋणी से यह अपेक्षा करने के लिए धारा 10 की उपधारा (3) को प्रतिस्थापित करने कि वह निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने संबंधी आवेदन के साथ, यथास्थिति, निगमित ऋणी के शेयर धारकों द्वारा पारित एक विशेष संकल्प या निगमित ऋणी के भागीदारों की कुल संख्या के कम से कम तीन चौथाई भागीदारों द्वारा पारित एक संकल्प प्रस्तुत करे ;

(ग) नई धारा 12क को अंत:स्थापित करने, जिसके द्वारा लेनदारों की समिति के नब्बे प्रतिशत मतदान शेयर के अनुमोदन के साथ आवेदक द्वारा किए गए किसी आवेदन पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए स्वीकार किए गए आवेदन को वापस लेने की अनुमति दी जा सकेगी ;

(घ) यह स्पष्ट करने के लिए धारा 14 का संशोधन करने कि अधिस्थगन, किसी निगमित ऋणी के निजी प्रत्याभूतिदाता या किसी निगमित प्रत्याभूतिदाता को लागू नहीं होगा ;

(ङ) वित्तीय लेनदारों द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए उपबंध

करने तथा ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के अधिकारों और कर्तव्यों का उपबंध करने के लिए धारा 21 का संशोधन ;

(च) अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित उपबंध करने के लिए धारा 29क का संशोधन,--

(i) गैर-निष्पादनकारी आस्ति से संबंधित खंड (ग) किसी ऐसे वित्तीय अस्तित्व और किसी ऐसे समाधान आवेदक को लागू नहीं होगा, जिसने ऐसे अर्जन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए किसी गैर-निष्पादनकारी आस्ति खाते के साथ किसी करस्थम आस्ति को अर्जित किया है ;

(ii) बारहवीं अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए सिद्धदोष व्यक्ति की निरर्हता के लिए और साथ ही यह भी उपबंध करने के लिए कि ऐसी निरर्हता ऐसे व्यक्ति को, कारावास से उसकी निर्मुक्ति की तारीख से दो वर्षों की समाप्ति के पश्चात् लागू नहीं होगी ;

(iii) जहां किसी अधिमानी, निम्नांकित, उद्दापन प्रत्यय या कपटपूर्ण संव्यवहार को समाधान आवेदक द्वारा निगमित ऋणी के अर्जन से पूर्व किया गया है, वहां निरर्हता से छूट प्रदान करने ;

(छ) यह उपबंध करने के लिए धारा 31 का संशोधन करने कि समाधान आवेदक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपेक्षित आवश्यक अनुमोदन को, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अभिप्राप्त करेगा ;

(ज) लेनदारों की समिति द्वारा विभिन्न विनिश्चय किए जाने के लिए मतदान अवसीमा को कम करके महत्वपूर्ण विनिश्चयों के लिए छियासठ प्रतिशत करना और सामान्य विनिश्चयों के लिए इक्यावन प्रतिशत करना ;

(झ) संहिता के अधीन कतिपय वृतिकों के कार्यकरण और व्यवहारों के विकास और विनियमन का संवर्धन करने हेतु बोर्ड के कृत्यों के विस्तारक्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए धारा 196 का संशोधन करना ;

(ञ) यह उपबंध करने के लिए नई धारा 238क को अंत:स्थापित करना कि परिसीमा अधिनियम, 1963 संहिता के अधीन कार्यवाहियों या अपीलों के संबंध में लागू होगा ;

(ट) नई धारा 240क को अंत:स्थापित करना, जिसके द्वारा धारा 29क के खंड (ग) और खंड (ज) के आवेदकों को, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया के संबंध में समाधान आवेदकों के लिए छूट प्रदान की गई है । यह धारा केंद्रीय सरकार को भी यह शक्ति प्रदान करती है कि वह लोक हित में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को संहिता के किसी अन्य उपबंध के लागू होने से छूट प्रदान कर सकेगी ।

5. खंडों पर टिप्पण ब्यौरेवार रूप से विधेयक के विभिन्न उपबंधों को स्पष्ट करते हैं ।

6. यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली
18 जुलाई, 2018

पीयूष गोयल

खंडों पर टिप्पण

विधेयक का खंड **1** संक्षिप्त नाम और प्रारंभ का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 2 संहिता की धारा 3 के खंड (12) का संशोधन करने के लिए है, जो "पुनर्संदाय" शब्द के स्थान पर "संदत्त" शब्द को रख कर व्यतिक्रम की परिभाषा को और अधिक व्यापक तथा और अधिक सुसंगत अर्थ प्रदान करने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 3 संहिता की धारा 5 में एक नया खंड (5क) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे "निगमित प्रत्याभूतिदाता" पद को परिभाषित किया जा सके, जिससे ऐसा निगमित व्यक्ति अभिप्रेत होगा जो किसी निगमित ऋणी की प्रत्याभूति संविदा में प्रतिभू है ।

यह खंड, खंड (8) के उपखंड (च) में इस प्रभाव का एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने के लिए है कि किसी भू-संपदा परियोजना के अधीन किसी आबंटिती से प्राप्त की गई रकम को ऐसी रकम के रूप में माना जाएगा जिसका ऋण के रूप में वाणिज्यिक प्रभाव है और साथ ही यह "आबंटिती" और "भू-संपदा परियोजना" पदों की परिभाषा का भी उपबंध करता है ।

यह खंड, यह स्पष्ट करने के लिए खंड (12) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है कि जहां दिवाला समाधान प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवेदन को स्वीकार करने वाले आदेश में अतंरिम समाधान वृतिक की नियुक्ति नहीं की जाती है, वहां दिवाला प्रारंभ होने की तारीख वह तारीख होगी जिसको अंतरिम समाधान वृत्तिक की नियुक्ति की जाती है ।

यह खंड "पुनःसंदाय" शब्द के स्थान पर "संदाय" शब्द रखने के लिए भी है जिससे उसे और अधिक व्यापक तथा और अधिक सुसंगत अर्थ प्रदान किया जा सके ।

यह खंड, किसी व्यष्टि के संबंध में "संबंधित पक्षकार" को परिभाषित करने के लिए एक नया खंड (24क) अंतःस्थापित करने के लिए भी है क्योंकि इसे संहिता में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था ।

खंड 4 धारा 7 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे केन्द्रीय सरकार को ऐसा कोई अन्य व्यक्ति अधिसूचित करने में समर्थ बनाया जा सके, जो कोई निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए वित्तीय लेनदार की ओर से आवेदन फाइल कर सकेगा ।

खंड 5 धारा 8 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है, जिससे इसमें ऐसे विवादों को सम्मिलित किया जा सके, जो किसी वाद या माध्यस्थम् कार्यवाहियों में लंबित नहीं है और साथ ही यह खंड "पुनःसंदाय" शब्द के स्थान पर "संदाय" शब्द रखने के लिए भी है जिससे उसे और अधिक व्यापक तथा और अधिक सुसंगत अर्थ प्रदान किया जा सके ।

खंड 6 संहिता की धारा 9 की उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है जिससे किसी प्रचालनात्मक ऋण के असंदाय को साबित करने के लिए प्रचालनशील लेनदार के खातों को बनाए रखने के लिए वित्तीय संस्थाओं से प्रमाणपत्र फाइल करने की वर्तमान में आज्ञापक शर्त को वैकल्पिक बनाया जा सके और इसके अतिरिक्त यह खंड प्रचालनात्मक ऋण के असंदाय को साबित करने के अन्य साधनों का भी उपबंध करता है और साथ ही

यह उपधारा (5) में "पुनःसंदाय" शब्द को "संदाय" शब्द से प्रतिस्थापित करने के लिए भी है ।

खंड 7 संहिता की धारा 10 की उपधारा (3) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे निगमित आवेदक द्वारा निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए, यथास्थिति, निगमित ऋणी के शेयरधारकों द्वारा पारित विशेष संकल्प या निगमित ऋणी के भागीदारों की कुल संख्या के कम से कम तीन चौथाई द्वारा पारित एक संकल्प की अपेक्षा का उपबंध किया जा सके ; और इसके अतिरिक्त यह उपधारा (4) का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाहियों का होना या न होना, निगमित आवेदक द्वारा फाइल किए गए निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया के आवेदन को स्वीकार या नामंजूर करने के लिए एक आधार होगा ।

खंड 8 संहिता की धारा 12 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है, जिससे लेनदारों की समिति द्वारा निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के विस्तारण के लिए मतदान की अवसीमा को पचहत्तर प्रतिशत से कम करके छियासठ प्रतिशत किया जा सके ।

खंड 9 एक नई धारा 12क अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे यथाविनिर्दिष्ट रीति में लेनदारों की समिति के नब्बे प्रतिशत मतदान शेयर के अनुमोदन से धारा 7, धारा 9 या धारा 10 के अधीन ग्रहण किए गए आवेदनों का वापस लिया जाना अनुज्ञात किया जा सके ।

खंड 10 संहिता की धारा 14 की उपधारा (3) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अधिस्थगन, किसी निगमित ऋणी की गारंटी संविदा में किसी प्रतिभू को लागू नहीं होगा ।

खंड 11 संहिता की धारा 15 का संशोधन करने के लिए है जिससे बोर्ड को यह शक्ति प्रदान की जा सके कि वह दावों को प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

खंड 12 संहिता की धारा 16 की उपधारा (5) का संशोधन करने के लिए है जिससे अंतरिम समाधान वृत्तिक को समाधान वृत्तिक की नियुक्ति तक पद पर बने रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सके ।

खंड 13 संहिता की धारा 17 का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अंतरिम समाधान वृत्तिक, निगमित ऋणी के कार्यों का प्रबंध करते समय लागू विधियों के अधीन कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

खंड 14 संहिता की धारा 18 का संशोधन करने के लिए है जिससे "उपधारा" शब्द को "धारा" शब्द से प्रतिस्थापित करके एक त्रुटि को ठीक किया जा सके ।

खंड 15 संहिता की धारा 21 का संशोधन करने के लिए है जिससे एक ऐसे तंत्र के लिए उपबंध किया जा सके, जो प्रतिभूतिधारकों, निक्षेपधारकों और वित्तीय लेनदारों के ऐसे सभी अन्य वर्गों को, जो एक कतिपय संख्या से अधिक होते हैं, एक प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से लेनदारों की समिति की बैठकों में भागीदारी को अनुज्ञात करे ; और इसके अतिरिक्त यह बोर्ड को, वित्तीय ऋणों में मतदान शेयर के अवधारण की और मतदान की रीति विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करने और यह उपबंध करने के लिए भी है कि

अन्यथा यथाउपबंधित के सिवाय, लेनदारों की समिति के सभी विनिश्चय वित्तीय लेनदारों के मतदान शेयर के इक्वायन प्रतिशत से अन्यून मतदान द्वारा लिए जाएंगे ; इस खंड में यह भी उपबंध है कि जहां किसी निगमित ऋणी का कोई वित्तीय लेनदार नहीं है वहां लेनदारों की समिति का गठन ऐसे व्यक्तियों से किया जाएगा और वह ऐसी रीति में ऐसे कृत्य करेगी, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

खंड 16 संहिता की धारा 22 का संशोधन करने के लिए है जिससे समाधान वृत्तिक की नियुक्ति के लिए लेनदारों की समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पचहत्तर प्रतिशत की वर्तमान मतदान अवसीमा को घटाकर छियासठ प्रतिशत करने के लिए उपबंध किया जा सके ; और इसके अतिरिक्त यह खंड उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है जिससे अंतरिम समाधान वृत्तिक से, उसकी नियुक्ति से पूर्व विनिर्दिष्ट प्ररूप में लिखित सहमति प्राप्त करने की अपेक्षा की जा सके ।

खंड 17 संहिता की धारा 23 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि समाधान वृत्तिक, निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् भी तब तक निगमित ऋणी के कार्यों का प्रबंध करना जारी रखेगा जब तक कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा धारा 31 के अधीन आदेश पारित न कर दिया गया हो ।

खंड 18 संहिता की धारा 24 का संशोधन करने के लिए है जिससे समाधान वृत्तिक द्वारा बैठक की सूचना की तामील करने और धारा 21 में यथा उपबंधित प्राधिकृत प्रतिनिधि के मतदान शेयर के संबंध में उपबंध किया जा सके ।

खंड 19 संहिता में एक नई धारा 25क अंतस्थापित करने के लिए है, जिससे वित्तीय लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के अधिकारों और कर्तव्यों के लिए उपबंध किया जा सके ।

खंड 20 संहिता की धारा 27 का संशोधन करने के लिए है जिससे उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करके लेनदारों की समिति को, उसकी विद्यमान समाधान वृत्तिक को पचहत्तर प्रतिशत मतदान शेयर की बजाय छियासठ प्रतिशत शेयर द्वारा, उसकी लिखित सहमति के अधीन रहते हुए, किसी अन्य समाधान वृत्तिक से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

खंड 21 संहिता की धारा 28 की उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है जिससे उसकी उपधारा (1) में उपबंधित कतिपय कार्रवाईयों के संबंध में लेनदारों की समिति के अनुमोदन के लिए मतदान शेयर की अवसीमा को पचहत्तर प्रतिशत से कम करके छियासठ प्रतिशत किया जा सके ।

खंड 22 संहिता की धारा 29क का संशोधन करने के लिए है जिससे गैर-निष्पादनकारी आस्ति के मद्दे वित्तीय अस्तित्वों को निरर्हित होने से बचाने, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा किसी पूर्व समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए किसी निगमित ऋणी के अर्जन के कारण किसी गैर-निष्पादनधारी आस्ति खाते के धारक समाधान आवेदक को छूट प्रदान करने, अनुसूची में यथाविहित अपराधों के लिए ही सिद्धदोष व्यक्तियों की निरर्हता को और ऐसी निरर्हता की अवधि को कारावास से उनकी निर्मुक्ति की तारीख से दो वर्ष तक के लिए निर्बन्धित करने, समाधान आवेदक से संबंधित पक्षकारों को खंड (घ) और खंड (ङ) के अधीन निरर्हताओं के लागू न होने, किन्हीं अन्य लागू विधियों को सम्मिलित करते हुए गैर निष्पादनकारी आस्ति के वर्गीकरण को विस्तारित करने, ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने संहिता के अधीन ऐसे किसी निगमित ऋणी का अर्जन किया है, जिसमें, ऐसे अर्जन से पूर्व कोई अधिमानी, निम्नांकित, कपटपूर्ण या उद्दापनकारी प्रत्यय संव्यवहार हुए हैं, को उस समय

छूट प्रदान करने के संबंध में जब ऐसे व्यक्तियों ने ऐसे संव्यवहार के प्रति कोई योगदान न किया हो, उपबंध करने के लिए है और एक ऐसे स्पष्टीकरण का उपबंध करने के लिए भी है कि जहां प्रत्याभूति का लेनदार द्वारा अवलंब लिया गया है और प्रत्याभूतिदाता ने शेष बची किसी असंदत्त रकम का पूर्ण या उसके किसी भाग का संदाय नहीं किया है, वहां केवल प्रत्याभूतिदाता अपात्र होंगे ।

खंड 23 संहिता की धारा 30 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि समाधान आवेदक, अपनी समाधान योजना प्रस्तुत करते समय एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह कथन किया जाएगा कि वह धारा 29क के अधीन पात्र है । यह खंड आगे उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए भी है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि समाधान योजना तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि की उल्लंघनकारी नहीं होगी । एक स्पष्टीकरण भी अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि कंपनी अधिनियम, 2013 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन समाधान योजना के अधीन कार्यान्वयन संबंधी कार्रवाईयों के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है तो ऐसे अनुमोदन को दे दिया गया समझा जाएगा और यह उस अधिनियम या ऐसी विधि का उल्लंघन नहीं करेगा ।

खंड 24 संहिता की धारा 31 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, समाधान योजना के अनुमोदन के लिए कोई आदेश पारित करने से पूर्व स्वयं का यह समाधान करेगा कि समाधान योजना में उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपबंध सम्मिलित हैं और यह कि समाधान आवेदक ने, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर, जो ऐसी विधि में उपबंधित है, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हों, सभी आवश्यक अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त कर लिए हैं और जहां ऐसी योजना में किसी संयोजन के लिए उपबंध सम्मिलित हैं, वहां लेनदारों की समिति द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन से पूर्व भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा ।

खंड 25 संहिता की धारा 33 का संशोधन करने के लिए है जिससे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को कोई परिसमापन आदेश पारित करने के लिए कोई आवेदन करने के लिए लेनदारों की समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मतदान शेयर की अवसीमा को पचहत्तर प्रतिशत से घटाकर छियासठ प्रतिशत करने का उपबंध किया जा सके ।

खंड 26 संहिता की धारा 34 का संशोधन करने के लिए है जिससे परिसमापक के रूप में नियुक्ति के लिए समाधान वृत्तिक से विनिर्दिष्ट प्ररूप में लिखित सहमति की अपेक्षा की जा सके ।

खंड 27 संहिता की धारा 42 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि परिसमापक द्वारा दावों को स्वीकार या नामंजूर करने संबंधी किसी विनिश्चय के विरुद्ध अपील न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष फाइल की जा सकेगी ।

खंड 28 संहिता की धारा 45 का संशोधन करने के लिए है जिससे स्पष्टता लाने हेतु कतिपय शब्दों का लोप किया जा सके ।

खंड 29 संहिता की धारा 60 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी ऐसे निगमित ऋणी के, जिसकी निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया या परिसमापन प्रक्रिया राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष लंबित है, यथास्थिति, किसी निगमित प्रत्याभूतिदाता या निजी प्रत्याभूतिदाता के दिवाला समाधान या

परिसमापन या शोधन अक्षमता से संबंधित कोई आवेदन उस राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष ही फाइल किया जाएगा । इस खंड में यह और उपबंध है कि किसी निगमित ऋणी के, यथास्थिति, किसी निगमित प्रत्याभूतिदाता या निजी प्रत्याभूतिदाता के दिवाला समाधान या परिसमापन या शोधन अक्षमता से संबंधित ऐसी कोई कार्यवाही, जो किसी न्यायालय या अधिकरण में लंबित है, ऐसे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अंतरित हो जाएगी, जो ऐसे निगमित ऋणी के निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया या परिसमापन प्रक्रिया के संबंध में कार्यवाही कर रहा है ।

खंड 30 संहिता की धारा 69 का संशोधन करने के लिए है जिससे स्पष्टता लाने हेतु कतिपय शब्दों का लोप किया जा सके ।

खंड 31 संहिता की धारा 76 का संशोधन करने के लिए है जिससे स्पष्टता लाने हेतु "पुनःसंदाय" शब्द को "संदाय" शब्द से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

खंड 32 संहिता की धारा 196 का संशोधन करने के लिए है जिससे बोर्ड को, कतिपय वृत्तिकों के कार्यकरण और व्यवहारों के विकास और विनियमन का संवर्धन करने और साथ ही संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए फीसों का उद्ग्रहण करने के लिए समर्थ बनाया जा सके जिसके अंतर्गत कतिपय वृत्तिकों के रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस भी है ।

खंड 33 संहिता की धारा 231 का संशोधन करने के लिए है जिससे "बोर्ड" शब्द अंतःस्थापित किया जा सके ताकि बोर्ड को कतिपय कार्रवाईयों के विरुद्ध अधिकारिता के वर्जन के विस्तारक्षेत्र के भीतर लाया जा सके ।

खंड 34 संहिता में नई धारा 238क अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबंध, यथाशक्य रूप से, यथास्थिति, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण या ऋण वसूली अधिकरण या ऋण वसूली अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों या अपीलों को लागू होंगे ।

खंड 35 संहिता की धारा 239 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केन्द्रीय सरकार यह पुष्टि करने वाले अन्य सबूतों से संबंधित विषयों कि निगमित व्यक्ति द्वारा असंदत्त प्रचालनात्मक ऋण का संदाय नहीं किया गया है और धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ङ) के अधीन ऐसी अन्य सूचना के लिए नियम बना सकेगी ।

खंड 36 संहिता की धारा 240 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बोर्ड, उसमें उपबंधित कतिपय विषयों के संबंध में विनियम बना सकेगा ।

खंड 37 संहिता में नई धारा 240क अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 29क के खंड (ग) और खंड (ज) के उपबंध ऐसे समाधान आवेदक को किसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया के संबंध में लागू नहीं होंगे । यह खंड केन्द्रीय सरकार को यह और शक्ति प्रदान करता है कि वह लोकहित में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि संहिता का कोई उपबंध सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लागू नहीं होगा, या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऐसे उपांतरणों के साथ लागू होगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

खंड 38 संहिता में बारहवीं अनुसूची अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे धारा

29क के खंड (घ) के प्रयोजन के लिए कतिपय अधिनियमों की सूची का, उक्त प्रयोजन के लिए अन्य अधिनियमों को अधिसूचित करने की शक्ति सहित उपबंध किया जा सके । यह खंड आगे और अपेक्षा करता है कि इस अनुसूची के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

खंड 39 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 (संहिता की ग्यारहवीं अनुसूची के पैरा 34 द्वारा यथाप्रतिस्थापित) का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के प्रारंभ से ठीक पूर्व किसी न्यायालय के समक्ष लंबित कंपनियों के समापन से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों का कोई पक्षकार या के पक्षकार, ऐसी कार्यवाहियों के अंतरण के लिए आवेदन फाइल कर सकेंगे और न्यायालय आदेश द्वारा ऐसी कार्यवाहियों को अधिकरण को अंतरित कर सकेगा और इस प्रकार अंतरित कार्यवाहियों के संबंध में अधिकरण द्वारा इस प्रकार कार्यवाही की जाएगी जैसे कि वे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कोई आवेदन हों ।

खंड 40 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 का निरसन करने के लिए है और यह उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कार्रवाईयों की व्यावृत्ति के लिए उपबंध करता है ।

प्रत्यायोजित विधान के विषय में ज्ञापन

विधेयक का खंड 6 संहिता की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है, जो केंद्रीय सरकार को किसी निगमित ऋणी द्वारा असंदत प्रचालन ऋण के किसी असंदाय या धारा की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन ऐसी अन्य सूचना की पुष्टि करने का अन्य सबूत विहित करने के लिए शक्ति प्रदत्त करती है ।

विधेयक का खंड 9 संहिता में धारा 12क अंत:स्थापित करने के लिए है ताकि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (बोर्ड) को किसी आवेदन को वापस लेने की रीति को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करती है ।

विधेयक का खंड 11 संहिता की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (ग) का संशोधन करने के लिए है, जो बोर्ड को दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को विनिर्दिष्ट करने के लिए शक्ति प्रदान करती है ।

विधेयक का खंड 15 संहिता की धारा 21 का संशोधन करने के लिए है, जो बोर्ड को उपधारा (6क) के खंड (ख) के अधीन लेनदारों का वर्ग बनाने के लिए लेनदारों की संख्या विनिर्दिष्ट करने ; उपधारा (6ख) के खंड (ii) के अधीन प्राधिकृत प्रतिनिधि को संदेय पारिश्रमिक ; और उपधारा (7) के खंड (ग) के अधीन मतदान और उपधारा (6) और उपधारा (6क) के अधीन आने वाले वित्तीय ऋणों के संबंध में मतदान शेयर का अवधारण करने के लिए शक्ति प्रदत्त करता है ।

विधेयक का खंड 16 संहिता की धारा 22 का संशोधन करने के लिए है, जो बोर्ड को क्रमश: अंतरिम समाधान वृत्तिक और प्रस्तावित समाधान वृत्तिक से लिखित सहमति अभिप्राप्त करने का प्ररूप विनिर्दिष्ट करने के लिए शक्ति प्रदत्त करता है ।

विधेयक का खंड 19 संहिता में धारा 25क अंत:स्थापित करने के लिए है, जो बोर्ड को किसी वित्तीय लेनदार की ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लेनदारों की समिति की बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए इलैक्ट्रानिक माध्यम विनिर्दिष्ट करने के लिए शक्ति प्रदत्त करती है ।

विधेयक का खंड 20 संहिता की धारा 27 की उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो बोर्ड को प्रस्तावित समाधान वृत्तिक से लिखित सहमति अभिप्राप्त करने हेतु प्ररूप विनिर्दिष्ट करने के लिए शक्ति प्रदत्त करता है ।

विधेयक का खंड 26 संहिता की धारा 34 का संशोधन करने के लिए है, जो बोर्ड को समाधान वृत्तिक से लिखित सहमति प्ररूप अभिप्राप्त करने हेतु प्ररूप विनिर्दिष्ट करने के लिए शक्ति प्रदत्त करता है ।

2. विषय, जिनके संबंध में नियम या विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अत:, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

वित्तीय ज्ञापन

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2018 के उपबंधों में, उन्हें अधिनियमित किए जाने पर किसी प्रकार का कोई आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का व्यय अंतर्वलित नहीं होगा ।

उपाबंध

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 31) से उद्धरण

* * * * * *

भाग 1

प्रारंभिक

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

* * * * * *

(12) "व्यतिक्रम" से किसी ऋण का तब असंदाय अभिप्रेत है, जब ऋण की संपूर्ण रकम या कोई भाग या किस्त देय और संदेय हो जाती है तथा उसका, यथास्थिति, ऋणी या निगमित ऋणी द्वारा पुनर्संदाय नहीं किया जाता है ;

* * * * * *

परिभाषाएं ।

5. इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,--

* * * * * *

(8) "वित्तीय लेनदार" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको कोई वित्तीय ऋण देय है, और इसके अन्तर्गत प्रतिफल के विरुद्ध संवितरित किया गया है और इसके अन्तर्गत है—

* * * * * *

(च) किसी अन्य संव्यवहार के अधीन जुटाई गई कोई रकम, जिसके अन्तर्गत उधार लेने का वाणिज्यिक प्रभाव वाला कोई अग्रिम विक्रय या क्रय करार भी है ;

* * * * * *

(21) "प्रचालन ऋण" से माल या सेवाओं के उपबंध के संबंध में कोई दावा जिसके अंतर्गत नियोजन भी है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रोद्भूत और केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय किसी शोध्य के प्रतिसंदाय के संबंध में कोई ऋण अभिप्रेत है ;

* * * * * *

वित्तीय लेनदार द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का प्रारंभ ।

7. (1) जब कोई व्यतिक्रम होता है तो कोई वित्तीय लेनदार स्वयं या किन्हीं अन्य वित्तीय लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष किसी निगमित ऋणी के विरुद्ध, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, किसी व्यतिक्रम के अंतर्गत न केवल आवेदक वित्तीय लेनदार को देय किसी वित्तीय ऋण के संबंध में कोई व्यतिक्रम आता है बल्कि निगमित ऋणी के किसी अन्य वित्तीय लेनदार को देय वित्तीय ऋण के संबंध में व्यतिक्रम भी आता है ।

प्रचालन लेनदार द्वारा दिवाला समाधान ।

8. (1) * * * * *

(2) निगमित ऋणी, उपधारा (1) में वर्णित मांग सूचना या बीजक की प्रति की प्राप्ति के दस दिन के भीतर निम्नलिखित को प्रचालन लेनदार के ध्यान में लाएगा–

(क) किसी विवाद, यदि कोई हो, की विद्यमानता और ऐसे विवाद के संबंध में ऐसी सूचना या ऐसे बीजक की प्राप्ति के पूर्व फाइल किए गए किसी वाद या माध्यस्थम् कार्यवाहियों के लंबित होने का अभिलेख ;

(ख) असंदत्त प्रचालन ऋण का पुनर्संदाय –

(i) निगमित ऋणी के बैंक खाते से असंदत्त रकम के इलैक्ट्रोनिक अंतरण के अभिलेख की अनुप्रमाणित प्रति भेजे जाने के द्वारा ; या

(ii) अभिलेख की अनुप्रमाणित प्रति जो कि प्रचालन लेनदार ने निगमित ऋणी द्वारा जारी किसी चेक को भुना लिया है, भेजने के द्वारा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजन के लिए, "मांग सूचना" से किसी प्रचालन लेनदार द्वारा निगमित ऋणी को प्रचालन ऋण के प्रति संदाय की मांग जिसकी बाबत व्यतिक्रम हुआ है, तामील की गई कोई सूचना अभिप्रेत है ।

प्रचालन लेनदार द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन ।

9. (1) * * * * *

(3) प्रचालन लेनदार आवेदन के साथ निम्नलिखित देगा –

* * * * * *

(ग) प्रचालन लेनदार के लेखों का अनुरक्षण करने वाली वित्तीय संस्था से प्रमाणपत्र की प्रति इस बात की पुष्टि करने के लिए कि निगमित ऋणी द्वारा असंदत्त प्रचालन ऋण का संदाय नहीं किया गया है ; और

(घ) ऐसी अन्य जानकारी, जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

* * * * * *

(5) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर आदेश द्वारा-

(i) आवेदन को स्वीकार करेगा और इस विनिश्चय से प्रचालन लेनदार तथा निगमित ऋणी को संसूचित करेगा, यदि--

* * * * * *

(ख) असंदत्त प्रचालन ऋण का कोई प्रतिसंदाय नहीं किया गया है ;

* * * * * *

(ii) आवेदन को अस्वीकार करेगा और ऐसे विनिश्चय से प्रचालन लेनदार तथा निगमित ऋणी को संसूचित करेगा यदि--

* * * * * *

(ख) असंदत्त प्रचालन ऋण का प्रतिसंदाय किया गया है ;

* * * * * *

निगमित आवेदक द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का आरंभ ।

10. (1) * * * * *

(3) निगमित आवेदक, आवेदन के साथ निम्नलिखित से संबंधित जानकारी देगा,-

(क) ऐसी अवधि की अपनी लेखा बही और ऐसे अन्य दस्तावेज, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ; और

(ख) अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्त करने के लिए प्रस्तावित समाधान वृत्तिक ।

(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी आवेदन प्राप्ति से चौदह दिन की अवधि के भीतर

आदेश द्वारा निम्नलिखित करेगा,--

(क) आवेदन को स्वीकार, यदि वह पूर्ण है ;

(ख) आवेदन को अस्वीकार, यदि वह अपूर्ण है :

परन्तु न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, किसी आवेदन को नामंजूर करने से पूर्व, आवेदक को, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी से सूचना की प्राप्ति की तारीख से सात दिन केभीतर उसके आवेदन में त्रुटियों को सुधारने के लिए सूचना देगा ।

* * * * * *

दिवाला समाधान प्रक्रिया के पूर्ण किए जाने के लिए समय-सीमा ।

12. (1) * * * * *

(2) समाधान वृत्तिक एक सौ अस्सी दिन की अवधि से परे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को निगमित दिवाला समाधान की अवधि का विस्तार करने के लिए आवेदन फाइल करेगा, यदि मतदान शेयर के पचहत्तर प्रतिशत मत द्वारा, लेनदारों की समिति की किसी बैठक में पारित संकल्प द्वारा, ऐसा करने का अनुदेश दिया जाता है ।

* * * * * *

अधिस्थगन ।

14. (1) * * * * *

(3) उपधारा (1) के उपबंध ऐसे संव्यवहारों, जो किसी वित्तीय सैक्टर के विनियामक के साथ परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, को लागू नहीं होंगे ।

* * * * * *

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया, का लोक आख्यापन ।

15. (1) धारा 13 में निर्दिष्ट आदेश के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लोक आख्यापन में निम्नलिखित जानकारी अंतर्विष्ट होगी, अर्थात् :--

* * * * * *

(ग) दावों को भेजने के लिए अंतिम तारीख ;

* * * * * *

अंतरिम समाधान वृत्तिक की नियुक्ति और पदावधि ।

16. (1) * * * * *

(5) अंतरिम समाधान वृत्तिक की पदावधि, उसकी नियुक्ति की तारीख से तीस दिन से अधिक नहीं होगी ।

* * * * * *

अंतरिम समाधान वृत्तिक द्वारा निगमित ऋणी के मामलों का प्रबंध ।

17. (1) * * * * *

(2) निगमित ऋणी का प्रबंध निहित किए जाने वाला अंतरिम समाधान वृत्तिक में निहित होगा–

* * * * * *

(घ) सरकारी प्राधिकारियों, कानूनी लेखा परीक्षकों, लेखापालों और ऐसे अन्य व्यक्तियों, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, के पास उपलब्ध निगमित ऋणी की लेखा बाहियों, अभिलेखों और अन्य संबंधित दस्तावेजों तक पहुंच का प्राधिकार रखेगा ।

आंतरिक समाधान वृत्तिक के कर्तव्य ।

18. अंतरिम समाधान वृत्तिक के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, अर्थात् :--

* * * * * *

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "आस्तियां" पद में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं, अर्थात् :--

* * * * * *

21. (1) * * * * * लेनदारों की समिति ।

(2) लेनदारों की समिति निगमित ऋणी के सभी वित्तीय लेनदारों से मिलकर बनेगी :

परंतु कोई संबंधित पक्षकार जिसके प्रति निगमित ऋणी द्वारा कोई वित्तीय ऋण देय है, को लेनदारों की समिति प्रतिनिधित्व करने का, भाग देने का या मतदान करने का अधिकार नहीं होगा ।

(3) जहां निगमित ऋणी द्वारा किसी कंसोर्टियम या करार के भाग के रूप में दो या अधिक वित्तीय लेनदारों के प्रति ऋण देय है वहां ऐसा प्रत्येक वित्तीय लेनदार लेनदारों की समिति का भाग होगा और उनके मतदान अंश का अवधारण उनके प्रति देय वित्तीय ऋणों के आधार पर किया जाएगा ।

* * * * * *

(6) जहां वित्तीय ऋण के निबंधनों का कंसोर्टियम, ठहराव या संबद्ध प्रसुविधा के भाग के रूप में विस्तार किया जाता है या उन्हें एकल न्यासी या अभिकर्ता को सभी वित्तीय लेनदारों के लिए कार्य करने के लिए प्रतिभूतियों को उपलब्ध करने के लिए जारी किया जाता है, वहां प्रत्येक वित्तीय लेनदार–

* * * * * *

(7) बोर्ड, उपधारा (6) के अधीन प्रतिभूतियों के रूप में, जारी वित्तीय ऋणों के संबंध में मतदान अंश का अवधारण करने की रीति को विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

(8) लेनदारों की समिति में सभी विनिश्चय मतदान अंश के पचहत्तर प्रतिशत से अन्यून किसी मत द्वारा किए जाएंगे :

परंतु जहां किसी निगमित ऋणी के पास कोई वित्तीय लेनदार नहीं हैं वहां लेनदारों की समिति का गठन ऐसे व्यक्तियों से किया जाएगा तथा उसमें ऐसे व्यक्ति होंगे जो ऐसी रीति में ऐसे कृत्यों का प्रयोग करेंगे जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

* * * * * *

22. (1) * * * * * समाधान वृत्तिक की नियुक्ति ।

(2) लेनदारों की समिति अपनी पहली बैठक में वित्तीय लेनदारों के मतदान अंश के पचहत्तर प्रतिशत से अन्यून के बहुमत द्वारा या तो समाधान वृत्तिक के रूप में अंतरिम समाधान वृत्तिक को नियुक्त करने का या अंतरिम समाधान वृत्तिक के स्थान पर दूसरे समाधान वृत्तिक को प्रतिस्थापित करने का संकल्प करेगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन जहां लेनदारों की समिति का संकल्प–

(क) समाधान वृत्तिक के रूप में अंतरिम समाधान वृत्तिक को जारी रखने का है वहां वह अंतरिम समाधान वृत्तिक, निगमित ऋणी और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को उसके इस विनिश्चय को संसूचित करेगी ; या

(ख) अंतरिम समाधान वृत्तिक को प्रतिस्थापित करने का है वहां वह प्रस्तावित समाधान वृत्तिक की नियुक्ति के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन को फाइल करेगी ।

* * * * * *

लेनदारों की समिति की बैठक ।

24. (1) * * * * *

(3) समाधान वृत्तिक लेनेदारों की समिति की प्रत्येक बैठक की सूचना निम्नलिखित को देगा—

(क) लेनदारों की समिति के सदस्यों को ;

* * * * * *

(5) कोई लेनदार जो लेनदारों की समिति का एक सदस्य है समाधान वृत्तिक से भिन्न किसी दिवाला वृत्तिक को लेनदारों की समिति की किसी बैठक में ऐसे लेनदार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त कर सकेगा :

परंतु किसी व्यक्तिगत लेनदार का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे समाधान वृत्तिक को संदेय ऐसी फीस ऐसे लेनदार द्वारा वहन की जाएगी ।

* * * * * *

लेनदारों की समिति द्वारा समाधान वृत्तिक का प्रतिस्थापन ।

27. (1) * * * * *

(2) लेनदारों की समिति किसी बैठक में मतदान अंश के पचहत्तर प्रतिशत के मत द्वारा धारा 22 के अधीन उसके द्वारा नियुक्त समाधान वृत्तिक को प्रतिस्थापित करने के लिए किसी अन्य समाधान वृत्तिक को प्रस्तावित कर सकेगी ।

* * * * * *

कतिपय कार्रवाईयों के लिए लेनदारों की समिति का अनुमोदन ।

28. (1) * * * * *

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई कार्रवाई लेनदारों की समिति के मतदान अंश के पचहत्तर प्रतिशत किसी मत द्वारा अनुमोदन के बिना नहीं होगी ।

* * * * * *

वे व्यक्ति, जो समाधान आवेदक होने के पात्र नहीं हैं ।

29क. कोई व्यक्ति, कोई समाधान योजना प्रस्तुत करने का तब पात्र नहीं होगा यदि ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से या मिलकर कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति—

* * * * * *

(ग) कोई ऐसा खाता या ऐसे व्यक्ति के या उस व्यक्ति के, जिसका ऐसा व्यक्ति संप्रवर्तक है, प्रबंधतंत्र या नियंत्रण के अधीन निगमित ऋणी, कोई ऐसा खाता रखता है जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन जारी किए गए भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार गैर-निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ऐसे वर्गीकरण की तारीख से निगमित ऋणी की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख तक कम से कम एक वर्ष की अवधि व्यपगत हो गई है : 1949 का 10

परन्तु कोई व्यक्ति कोई समाधान योजना प्रस्तुत करने का तब पात्र होगा यदि ऐसा व्यक्ति समाधान योजना प्रस्तुत करने से पूर्व गैर-निष्पादक आस्ति से संबधित सभी अतिशोध्य रकमों का उन पर ब्याज और प्रभारों सहित संदाय कर देता है;

(घ) दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है;

* * * * * *

(ज) किसी ऐसे निगमित ऋणी की बाबत किसी लेनदार के पक्ष में कोई

प्रवर्तनीय प्रत्याभूति निष्पादित कर चुका है, जिसके विरुद्ध ऐसे लेनदार द्वारा दिवाला समाधान के लिए किया गया कोई आवेदन इस संहिता के अधीन ग्रहण कर लिया गया है ;

(झ) भारत के बाहर किसी अधिकार क्षेत्र में किसी विधि के अधीन खंड (क) से खंड (ज) के तदनुरूप किसी असमर्थता के अध्यधीन रहा है ; या

(ञ) कोई ऐसा संसक्त व्यक्ति रखता है जो खंड (क) से खंड (झ) के अधीन पात्र नहीं है ।

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "संसक्त व्यक्ति" पद से अभिप्रेत है—

(i) ऐसा कोई व्यक्ति, जो समाधान आवेदक का संप्रवर्तक है या उसके प्रबंधतंत्र या नियंत्रण में है ; या

(ii) ऐसा कोई व्यक्ति, जो समाधान योजना के क्रियान्वयन के दौरान निगमित ऋणी के कारबार का संप्रवर्तक या उसके प्रबंधतंत्र या नियंत्रण में होगा ; या

(iii) खंड (i) और खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की नियंत्री कंपनी, समनुषंगी कंपनी, सहयुक्त कंपनी या संबद्ध पक्षकार है :

परन्तु इस स्पष्टीकरण के खंड (iii) में की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी—

(अ) कोई अनुसूचित बैंक; या

(आ) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम. 2002 की धारा 3 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रजिस्ट्रीकृत कोई आस्ति पुनर्गठन कंपनी; या

2002 का 54

(इ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत कोई अनुकल्पी विनिधान निधि ।

समाधान योजना को प्रस्तुत करना ।

30. (1) कोई समाधान आवेदक, सूचना ज्ञापन के आधार पर तैयार की गई समाधान योजना समाधान वृत्तिक को प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) समाधान वृत्तिक उसको प्राप्त प्रत्येक समाधान योजना की परीक्षा यह पुष्टि करने के लिए करेगा कि प्रत्येक समाधान योजना--

(क) दिवालिया समाधान प्रक्रिया लागतों का संदाय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में निगमित ऋणी के अन्य ऋणों के प्रतिसंदाय पर पूर्विकता से किए जाने का उपबंध करती है ;

(ख) प्रचालन लेनदारों के ऋणों के प्रतिसंदाय के लिए ऐसी रीति में उपबंध करती है, जो बोर्ड द्वारा विर्निदिष्ट किया जाए, जो धारा 53 के अधीन निगमित ऋणी के परिसमापन की दशा में प्रचालन लेनदारों को संदत्त की जाने वाली रकम से कम नहीं होगा;

* * * * * *

(च) ऐसा अन्यअपेक्षाओं के अनुरूप है, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

* * * * * *

(4) लेनदारों की समिति ऐसे मत द्वारा, जो वित्तीय लेनदारों के मतांश का पचहत्तर प्रतिशत से कम न हो समाधान योजना का अनुमोदन कर सकेगी ।

* * * * * *

परन्तु समाधान आवेदक को लेनदारों की बैठक में मत देने का तब तक अधिकार नहीं होगा जब तक कि एक ऐसा समाधान आवेदक भी वित्तीय लेनदार न हो ।

* * * * * *

अध्याय 3

परिसमापन प्रक्रिया

परिसमापन का प्रारंभ ।

33. (1) * * * * *

(2) जहां समाधान वृत्तिक, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान किंतु समाधान योजना की पुष्टि से पूर्व किसी समय निगमित ऋणी के परिसमापन के लिए लेनदारों की समिति के विनिश्चय को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सूचित करता है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड उपखंड (i) और उपखंड (ii) और उपखंड (iii) में यथानिर्दिष्ट परिसमापन आदेश पारित करेगा ।

* * * * * *

34. (1) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, धारा 33 के अधीन निगमित ऋणी के समापन का कोई आदेश पारित करता है, वहां अध्याय 2 के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए नियुक्त समाधान वृत्तिक जब तक उपधारा (4) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा बदला न जाए, समापन के प्रयोजनों के लिए समापक के रूप में कार्य करेगा ।

* * * * * *

(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, आदेश द्वारा समाधान वृत्तिक को बदल देगा, यदि–

* * * * * *

(ख) बोर्ड ने, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से समाधान वृत्तिक को बदले जाने की सिफारिश की है ।

* * * * * *

(5) उपधारा (4) के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, बोर्ड को समापक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अन्य दिवाला वृत्तिक के नाम का प्रस्ताव करने का निदेश दे सकेगा ।

(6) बोर्ड, उपधारा (5) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा जारी निदेश के दस दिन के भीतर अन्य दिवाला वृत्तिक के नाम का प्रस्ताव करेगा ।

* * * * * *

समापक के विनिश्चय के विरुद्ध अपील ।

42. कोई लेनदार ऐसे विनिश्चय की प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर दावों को नामंजूर करने वाले परिसमापक के विनिश्चय के विरुद्ध न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अपील कर सकेगा ।

* * * * * *

न्यून मूल्यांकित संव्यवहारों का परिवर्जन ।

45. (1) यदि, यथास्थिति, समापक या समाधान वृत्तिक, धारा 43 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट निगमित ऋणी के संव्यवहारों की परीक्षा करने पर यह अवधारित करता है कि धारा 46 के अधीन सुसंगत अवधि के दौरान किए गए कतिपय संव्यवहार न्यून

मूल्यांकित थे, तो वह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को, ऐसे संव्यवहारों को शून्य घोषित करने और इस अध्याय के अनुसार ऐसे संव्यवहार के प्रभाव को उलटने के लिए आवेदन करेगा ।

* * * * * *

अध्याय 6

निगमित व्यक्तियों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी

निगमित व्यक्तियों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ।

60. (1) * * * * *

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष किसी निगमित ऋणी की कोई निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया या समापन कार्यवाहियां लंबित हैं, वहां ऐसे निगमित ऋणी के निजी प्रत्याभूतिदाता की कोई दिवाला समाधान प्रक्रिया या शोधन अक्षमता संबंधी कार्यवाहियां, ऐसे राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष फाइल की जाएगी ।

(3) निगमित ऋणी की निजी प्रत्याभूतिदाता की न्यायालय में लंबित दिवाला समाधान प्रक्रिया या शोधन अक्षमता प्रक्रिया, ऐसे निगमित ऋणी की दिवाला समाधान प्रक्रिया या समापन कार्यवाहियों का निपटारा करने वाले न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अंतरित हो जाएगी ।

* * * * * *

लेनदारों को कपटवंचन करने के लिए संव्यवहारों के लिए दंड ।

69. दिवाला प्रारम्भ होने की तारीख को या उसके पश्चात्, यदि निगमित ऋणी के किसी अधिकारी ने या निगमित ऋणी ने,--

(क) निगमित ऋणी की सम्पत्ति का कोई दान या अन्तरण किया है या करवाया है या उस पर कोई भार डाला है या डलवाया है या उसके विरुद्ध किसी डिक्री या आदेश का निष्पादन करवाया है या उसकी मौनानुमति दी है, या

(ख) निगमित ऋणी के विरुद्ध अभिप्राप्त धन के संदाय के लिए किसी असंतुष्ट निर्णय डिक्री या आदेश की तारीख से पहले दो मास के भीतर निगमित ऋणी की संपत्ति को या उसके किसी भाग को छिपाया है या हटाया है,

तो, यथास्थिति, निगमित ऋणी का अधिकारी या निगमित ऋणी ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि, एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा :

परन्तु कोई व्यक्ति इस धारा के अअधीन दंडनीय नहीं होगा यदि खंड (क) में वर्णित कार्य दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व पांच वर्ष पहले किए गए थे, या यदि वह यह साबित कर देता है कि उन कृत्यों को करते समय उसका निगमित ऋणी के लेनदारों को कपटवंचित करने का कोई आशय नहीं था ।

प्रचालन लेनदार द्वारा विवाद को प्रकट न करने या ऋण का प्रतिसंदाय न करने के लिए शास्ति ।

76. जहां--

(क) कोई प्रचालन लेनदार, जानते हुए या जानबूझकर धारा 9 के अधीन आवेदन में इस तथ्य को छिपाएगा कि निगमित ऋणी ने उसे असंदत्त प्रचालन ऋण से संबंधित किसी विवाद की या असंदत्त प्रचालन ऋण के पूर्ण और अंतिम प्रतिसंदाय की सूचना दी थी ; या

* * * * * *

अध्याय 2

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

196. (1) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के साधारण निदेशों के अध्यधीन निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :--

(क) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं को रजिस्टर करेगा और उनके रजिस्ट्रीकरण को नवीकृत, प्रत्याहृत, निलंबित या रद्द करेगा;

* * * * * *

(ग) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस या अन्य प्रभारों का उदग्रहण करेगा ;

* * * * * *

अधिकारिता का वर्जन ।

231. किसी भी सिविल न्यायालय को, ऐसे किसी मामले के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी जिसके संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी इस संहिता द्वारा या उसके अधीन कोई आदेश पारित करने के लिए सशक्त है और ऐसे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा इस संहिता के द्वारा या उसके अधीन पारित किसी आदेश के अनुसरण में की गई या किए जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई व्यादेश मंजूर नहीं किया जाएगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

239. (1) * * * * *

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात् :--

* * * * * *

(च) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन निगमित आवेदक द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने का प्रारूप, रीति और फीस ;

* * * * * *

विनियम बनाने की शक्ति ।

240 (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किन्हीं के संबंध में उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :--

* * * * * *

(छ) धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन कोई अन्य सूचना ;

* * * * * *

(ढ) खंड (क) के उपखंड (iv) के अधीन अन्य विषय और धारा 18 के खंड (छ) के अधीन अंतरिम समाधान वृत्तिक द्वारा पालन किए जाने वाले अन्य कर्तव्य ;

* * * * * *

कंपनी अधिनियम, 2013(2013 का अधिनियम संख्यांक 18) से उद्धरण

* * * * * *

434. (1) ऐसी तारीख को जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए,--

* * * * * *

(ग) कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन, जिसके अन्तर्गत कंपनियों के माध्यस्थम्, समझौता, ठहराव और पुनर्संचना तथा परिसमापन से संबंधित कार्यवाहियां भी हैं, जो उस तारीख से ठीक पूर्व किसी जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय में लंबित हैं, अधिकरण को अन्तरित हो जाएंगी और अधिकरण उन कार्यवाहियों के संबंध में उनके अन्तरण से पहले के प्रक्रम से कार्यवाही कर सकेगा ;

* * * * * *

MGIPMRND—806LS(CRC)—19-7-2018.